अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

(U/s 147 Cr. P.C.)

वाद संख्या–07 / 2015

प्रथम पक्ष		द्वितीय पक्ष
श्री नबल किशोर सिंह एवं अन्य–06	–बनाम्–	रंजीत प्रसाद गुप्ता एवं अन्य–05

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख सहीत
05.04.2022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक (1) श्री नवल किशोर सिंह (2) श्री श्याम किशोर सिंह दोनों के पिता–स्व0 राम रतन सिंह, (3) श्री अमित विश्वकर्मा, पिता–श्री बच्चु लाल विश्वकर्मा, (4) श्री रवि कुमार सिंह, पिता–स्व0 शिव प्रसाद सिंह, (5) श्री अनिल कुमार साह, पिता–स्व0 रामचन्द्र साह, (6) बेबीनाज, पति–अख्तर कुरैशी उर्फ अली, (7) द्वारिका सिंह, पिता–राम खेलावन सिंह, सभी निवासी–तुरी टोला बस्ती, मनोहरपुर थाना के बगल में, पो0+थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल कर (1) रंजीत प्रसाद गुप्ता, पिता–स्व0 जगदीश प्रसाद गुप्ता, (2) विकास गुप्ता, पिता–श्री रंजीत प्रसाद गुप्ता (3) चंदन गुप्ता, पिता–श्री रंजीत प्रसाद गुप्ता, (4) खुशबू कुमारी, पिता–श्री रंजीत कुमार गुप्ता, (5) कुसुम देवी, पति–रंजीत प्रसाद गुप्ता, (6) सोनी देवी, पति–श्री विकास गुप्ता, सभी निवासी–तुरी टोली बस्ती, मनोहरपुर थाना के बगल में, पो0+थाना–मनोहरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के विरूद्ध दं0प्र0सं0 की धारा–147 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। **भूमि का विवरणी** | मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहद्दी | |---|---|---|---|---|---| | मनोहरपुर | 90 | 280 | 1371 | 16 डि0 (यह प्लॉट उत्तर पश्चिम की ओर मेन रोड पर मिलती है।), प्लॉट नं0–1367, 1368, 1369 तक प्लॉट नं0–1317 के बीच स्थित है। | उ0–प्लॉट नं0–1367, 1368, 1369 एवं प्लॉट संख्या–1371 का अंश, द0–प्लॉट नं0–1317 एवं 1319, पू0–प्लॉट नं0–1362, प0–प्लॉट नं0–1366		

आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि का उपयोग आम रास्ता के रूप में की जा रही है। रास्ता को लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद है, जिससे दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के मद्देनजर दं0प्र0सं0 147 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दं0प्र0सं0 के धारा–147 के तहत् इस न्यायालय में मिस वाद संख्या–07/2015, दिनांक–31.01.2015 को प्रारंभ की गई।

बहस के दौरान प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि से प्रथम पक्ष के अतिरिक्त आसपास के लोगों द्वारा वर्षों से रास्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विवादित स्थल अवरूद्ध होने पर कुल 7 परिवारों एवं आसपास के स्थानीय लोगों का रास्ता अवरूद्ध होने की संभावना है। विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा नहीं है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वाद भूमि के क्रय–बिक्रय से संबंधित न्यायालय में दलीलों की छायाप्रति समर्पित कर बताया गया है कि सभी निबंधित दलीलों में विवादित भूमि को रास्ता के रूप में दिखाया गया है। उक्त के आलोक में प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम आदेश में भी विवादित भूमि को सार्वजनिक इस्तेमाल (रास्ता) के मद्देनजर द्वितीय पक्ष को रास्ता खुला रखने का आदेश दिया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए द्वितीय पक्षकारों को रास्ता अवरूद्ध नहीं करने का आदेश देने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि विवादित भूमि रैयत खाते की भूमि है। उक्त भूमि का लगान खतियानी रैयत जगदीश प्रसाद गुप्ता के नाम से 2021–2022 तक अद्यतन है। हाल सर्वे खतियान एवं नक्शा में कहीं भी वाद भूमि को रास्ता के रूप में नहीं दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष के दखल–कब्जे में हैं एवं वाद भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में नहीं किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में दं0प्र0सं0 की धारा–147 के तहत् पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है साथ ही वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–195, दिनांक–19.04.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, मनोहरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल

अधिकारी मनोहरपुर के पत्रांक–556(A), दिनांक–14.11.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि

1. प्लॉट संख्या–1371 के दक्षिणी भाग पर जो रैयती भूमि से छुटा हुआ अंश रास्ता के रूप में विगत 25 से 30 वर्षों (स्थानीय व्यक्तियों के कथनानुसार) से आवागमन करते आ रहे थे। मनोहरपुर पुलिस थाना के चाहरदीवारी का निर्माण विगत लगभग 10 वर्षों पूर्व हो जाने के उपरान्त उक्ता छोड़ा गया भूमि को लोग आम रास्ता के रूप में व्यवहार करते आ रहे हैं।
2. प्लॉट संख्या–1371 से मुख्य सड़क में आनेवाले परिवारों की संख्या वर्तमान में 07(सात) है।
3. प्लॉट संख्या–1371 में विवादित स्थल वर्तमान में पूरी तरह से अवरूद्ध नहीं है।
4. उक्त विवादित स्थल अवरूद्ध होने पर कुल 07(सात) परिवार का रास्ता अवरूद्ध होने की संभावना है।

उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में समर्पित कागजातों के अवलोकन, उभय पक्षों को सुनने एवं अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रश्नगत भूमि के आंशिक भाग का पूर्व से ही प्रथम पक्ष एवं आसपास के लोगों द्वारा रास्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय में समर्पित क्रय–बिक्रय संबंधित सभी निबंधित दलीलों में भी विवादित भूमि को रास्ता के रूप में दिखाया गया है। उभय पक्ष के गवाहों के बयानों की प्रतिपरीक्षण से भी प्रतीत होता है कि उक्त भूमि पर पूर्व से ही सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए रास्ता है। .

अतएव इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को यथावत रखते हुए द्वितीय पक्ष को आदेशित करती है कि विवादित भूमि में सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए रास्ता खुला रखना सुनिश्चित करेंगे। द्वितीय पक्ष सार्वजनिक इस्तेमाल की रास्ता को अवरूद्ध नहीं करेंगे।

आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में भा०दं०सं० की धारा–188 के तहत् दण्डनीय अपराध मानते हुए आपके विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

अतः इस मुकदमें की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल पदाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.19 14:15:24 +05:30
Location: 192.168.181.135